INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : [illegible]

Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 [illegible]

Account Reference : [illegible]

Unique Doc. Reference : [illegible]

Purchased by : [illegible]

Description of Document : Article [illegible]

Property Description : Not Applicable

Consideration Price (Rs.) : [illegible]

First Party : SATGURU [illegible]

Second Party : [illegible]

Stamp Duty Paid By : SATGURU ROHIT KUMAR AND DEVESH KUMAR

Stamp Duty Amount (Rs.) : [illegible]

NOTARY R.D. SHARMA GOVT. OF INDIA

Secretary / Manager
Sahara Institute of Pharmacy Rakanpur
Po. Amiya Khurd, Dist. Balrampur (U.P.)

(प्रारूप – 'अ')

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम [illegible] रोहित कुमार एवं देवेश कुमार क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव [illegible] प्रसार समिति [illegible] निम्नवत शपथ करते हैं:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा [illegible] इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी [illegible] डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम खतौनी [illegible] मौजा [illegible] में [illegible] संख्या 542 एवं [illegible] क्रमशः [illegible] वर्ग मीटर एवं [illegible] हेक्टेयर [illegible] भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम आवंटित भूमि के गाटा संख्या 542 एवं [illegible] [illegible] क्रमांक 2020 वर्ग मीटर एवं [illegible] हेक्टेयर कुल रकबा [illegible] हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का संचालन किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 26.11.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि पर उक्त पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु उपस्थित किया गया है।
7. यह कि, प्रस्तावित पत्र में वर्णित पदों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के मानक, पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि के इस पार्सल पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रादेशिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश से मान्यता संख्या एवं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता कोई अन्य डिप्लोमा/डिग्री/पाठ्यक्रम/विश्वविद्यालय/कॉलेज/इंस्टीट्यूट आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक संख्या में, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्रादेशिक चिकित्सा परिषद के मानकों के अनुसार ही संचालन किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा [illegible] के पूर्व कर ली जायेगी।

NOTARY
R.D. [illegible]
of India

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा यदि मेरे संज्ञान में किसी भी समय स्वतंत्र निरीक्षण में मानकानुसार कोई त्रुटि पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैंने कुछ भी गलत जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा कुटिपूर्ण प्रयोग नहीं किया है। परिषद नियमानुसार कानूनी एवं आपराधिक की जा सकेगी। ऐसे में मेरी पूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० आचार्य

ह० संचालक

Secretary / Manager
Sainani Institute of Pharmacy, Kusumpur
Po. Anwar Khurd, Distt. Bulandshahr (U.P.)

NOTARIAL

NOTARIAL

ATTESTED SIGNATURE
(Re-Qualified)
K.D. SHARMA
Advocate & Notary, Gkp.